राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर

जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर 302004

दूरभाष 0141-2256602 Email: gaduorjaipur@gmail.com

क्रमांकः–सा.प्र./2026/ दिनांकः

परिपत्र

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार का पत्र क्रमांक प. 18(2)शिक्षा–4/2019 पार्ट–00118 दिनांक 27.04.2026 के पत्र के क्रम में जनगणना 2027 के अंतर्गत स्व–गणना (Self Enumeration) के संबंध में विभाग को सूचित करवाने हेतु दिशानिर्देश जारी किये हैं।

अतः राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी संघटक महाविद्यालयों/विभागों/अनुभागों/ को निर्देशित किया जाता है कि संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, के द्वारा प्रदत दिशानिर्देश की पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्न उपरोक्तानुसार

ह.

कुलसचिव

क्रमांकः–सा.प्र./2026/8015-65 दिनांकः 5/5/26

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01 समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/प्रभारी अधिकारी, समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक इकाइयाँ, रा.वि.वि., जयपुर।

02 प्राचार्य, महाराजा/ महारानी/ राजस्थान/ कॉमर्स/ विधि महाविद्यालय (प्रातः–सायं), रा.वि.वि., जयपुर।

03 मुख्य आवासाधिकारी (छात्र–छात्राएं)/समस्त आवासाधिकारी/मुख्य कुलानुशासक, रा.वि.वि., जयपुर।

04 वित्तीय नियन्त्रक व वित्तीय सलाहकार/परीक्षा नियन्त्रक, रा.वि.वि., जयपुर।

05 निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

06 समस्त उप–कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।

07 जनसम्पर्क अधिकारी, रा.वि.वि., जयपुर।

08 निजी सचिव कुलगुरु/कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।

09 रक्षित पंजिका।

अतिरिक्त कुलसचिव 04/05/26

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः–प.18(2)शिक्षा–4/2019 पार्ट–00118 जयपुर, दिनांक ई–हस्ताक्षरित

आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
कुलसचिव, समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।

विषयः– जनगणना 2027 के अंतर्गत स्व–गणना (Self Enumeration) के संबंध में।

सन्दर्भः–निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान से प्राप्त पत्र दिनांक 09.04.2026 के क्रम में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान से प्राप्त पत्र दिनांक 09.04.2026 जो कि जनगणना 2027 के अंतर्गत स्व–गणना (Self Enumeration) के संबंध में विभाग को प्राप्त हुआ है। अतः प्राप्त पत्र मूल ही संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ. मुकेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

RajKaj Ref No.: 21697244
M e-Sign

Validity unknown
Digitally signed by Mukesh Kumar Sharma
Designation : Joint Secretary
Date: 2026.04.20 ...26:44 IST
Reason: Approved

10 April
10:18 AM
attachment

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS, RAJASTHAN
6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर-302004
6-B, JHALANA DOONGRI, JAIPUR-302004
दूरभाष/Phone : 0141-2708078, 2707461, 2707090
ई-मेल/E-mail : dco-raj.rgi@gov.in

International Year of Cooperatives 2025

अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषय: जनगणना 2027 के अंतर्गत स्व-गणना (Self Enumeration) के संबंध में।

Sumit ji
10/04/26

महोदय,

भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 के प्रथम चरण - *मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना* - के अंतर्गत स्व-गणना (Self Enumeration) की व्यवस्था नागरिक सहभागिता को सुदृढ़ करने तथा आधुनिक डिजिटल जनगणना की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में प्रारम्भ की गई है। राजस्थान राज्य हेतु स्व-गणना की निर्धारित अवधि 1 मई 2026 से 15 मई 2026 तक अधिसूचित है, जिसके उपरांत प्रगणकों द्वारा 16 मई 2026 से 14 जून 2026 तक घर-घर जाकर मकानसूचीकरण का कार्य किया जाना है।

इस राष्ट्रीय अभियान को हम केवल प्रशासनिक कार्य के रूप में नहीं बल्कि जनभागीदारी आधारित राष्ट्रनिर्माण के अवसर के रूप में देख रहे है। स्व-गणना की सफलता से न केवल जनगणना प्रक्रिया अधिक सटीक, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनेगी, बल्कि गणनाकर्मियों का कार्यभार भी कम होगा तथा डिजिटल शासन की दिशा में एक सशक्त उदाहरण स्थापित होगा।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के समस्त शिक्षाविदो, अधिकारियों एवं कार्मिकों को अपने-अपने परिवार की **स्व-गणना 1 मई को ही पूर्ण करने हेतु निर्देश जारी करवाने का श्रम करें।** यदि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिक एक ही दिन इस प्रक्रिया को सम्पन्न करते हैं, तो राजस्थान देश में डिजिटल जनगणना सहभागिता का एक अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। स्व-गणना प्रक्रिया के चरण-दर-चरण निर्देशों सहित एक उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका पत्र के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

Digitally signed by
Bishnu Charan Mallick
Date: 08-04-2026
14:30:14

(बिष्णु चरण मल्लिक)
निदेशक

स्वगणना प्रक्रिया

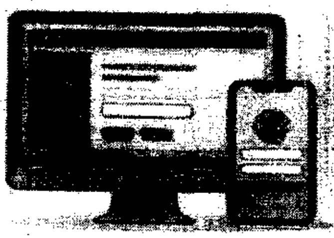

भाग 1 : पोर्टल में प्रवेश एवं प्रारंभिक पंजीकरण

1 पोर्टल में प्रवेश एवं लॉग-इन

https://se.census.gov.in पर जाएं, अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का चयन करें और कैप्चा कोड दर्ज करें।

2 परिवार पंजीकरण

परिवार के मुखिया का नाम, 10 अंक का मोबाइल नंबर ई-मेल आईडी (वैकल्पिक) दर्ज करें

⚠ परिवार के मुखिया का नाम बाद में बदला नहीं जा सकेगा।

⚠ प्रत्येक परिवार के लिए केवल एक मोबाइल नंबर का उपयोग किया जा सकता है। एक बार पंजीकृत होने के बाद वही मोबाइल नंबर किसी अन्य परिवार के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

भाग 2 : सत्यापन एवं स्थान की पहचान

3 [illegible]

अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करें तथा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी (OTP) दर्ज करें।

⚠ चयनित भाषा को बाद में बदला नहीं जा सकता।

4 [illegible]

अपने जिले का चयन करें, पिन कोड दर्ज करें गांव/नगर/स्थानीय क्षेत्र (लोकैलिटी) की जानकारी भरें

5 मानचित्र पर अपने निवास स्थान को चिह्नित करें

मानचित्र पर लाल मार्कर को खींचकर (Drag करके) अपने आवासीय भवन के सटीक स्थान पर स्थापित करें तथा स्थान की पुष्टि करें।

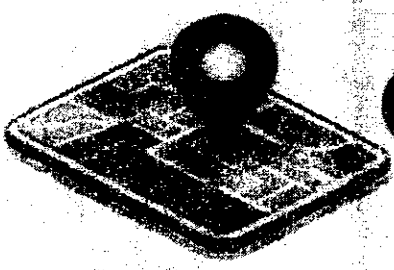

भाग 3 : डेटा दर्ज करें एवं अंतिम प्रस्तुतिकरण

6 प्रश्नावली पूर्ण करें

मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना प्रश्नावली भरें। प्रश्नों को समझने में सहायता के लिए टूलटिप्स, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) तथा "आवश्यक सूचना" उपलब्ध हैं।

7 पूर्वावलोकन एवं समीक्षा

पूर्वावलोकन (Preview) सुविधा का उपयोग करके दर्ज की गई सभी जानकारी की जाँच करें। आप निम्न कार्य कर सकते हैं: डेटा दर्ज करने में संशोधन के लिए वापस जाएं, बाद में प्रस्तुत करने के लिए ड्राफ्ट के रूप में सेव करें, या पुष्टि करें और सबमिट करें

8 अंतिम प्रस्तुतिकरण

"पुष्टि करें और सबमिट करें" पर क्लिक करके अपने डेटा का अंतिम प्रस्तुतिकरण करें; अंतिम प्रस्तुतिकरण के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा।

स्व-गणना पहचान संख्या (SE ID) की प्राप्ति

प्रपत्र के सफलतापूर्वक प्रस्तुत होने पर 11 अंकों की एक विशिष्ट स्व-गणना पहचान संख्या (SE ID) प्राप्त होगी, जो "H" अक्षर से प्रारंभ होती है। यह SE ID आपको ई-मेल (यदि प्रदान किया गया हो) के माध्यम से भेजी जाएगी।

भाग 4 : क्षेत्र सत्यापन

9 प्रगणक का दौरा

जब जनगणना प्रगणक (Enumerator) आपके घर आएँ, तो उन्हें अपनी SE ID प्रदान करें।

SE ID मिलान का परिणाम

यदि SE ID मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है, तो आपकी जानकारी की पुष्टि कर उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। यदि SE ID का मिलान नहीं होता है, तो प्रगणक द्वारा नई जानकारी एकत्रित की जाएगी।

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS, RAJASTHAN
6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर-302004
6-B, JHALANA DOONGRI, JAIPUR-302004
दूरभाष /Phone : 0141-2708078, 2707461, 2707090
ई-मेल/E-mail : dco-raj.rgi@gov.in

International Year of Cooperatives

अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषय: जनगणना 2027 के अंतर्गत स्व-गणना (Self Enumeration) के संबंध में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 के प्रथम चरण - *मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना* - के अंतर्गत स्व-गणना (Self Enumeration) की व्यवस्था नागरिक सहभागिता को सुदृढ़ करने तथा आधुनिक डिजिटल जनगणना की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में प्रारम्भ की गई है। राजस्थान राज्य हेतु स्व-गणना की निर्धारित अवधि 1 मई 2026 से 15 मई 2026 तक अधिसूचित है, जिसके उपरांत प्रगणकों द्वारा 16 मई 2026 से 14 जून 2026 तक घर-घर जाकर मकानसूचीकरण का कार्य किया जाना है।

इस राष्ट्रीय अभियान को हम केवल प्रशासनिक कार्य के रूप में नहीं बल्कि जनभागीदारी आधारित राष्ट्रनिर्माण के अवसर के रूप में देख रहे है। स्व-गणना की सफलता से न केवल जनगणना प्रक्रिया अधिक सटीक, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनेगी, बल्कि गणनाकर्मियों का कार्यभार भी कम होगा तथा डिजिटल शासन की दिशा में एक सशक्त उदाहरण स्थापित होगा।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के समस्त शिक्षाविदो, अधिकारियों एवं कार्मिकों को अपने-अपने परिवार की स्व-गणना **1 मई को ही पूर्ण करने हेतु निर्देश जारी करवाने का श्रम करें।** यदि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिक एक ही दिन इस प्रक्रिया को सम्पन्न करते हैं, तो राजस्थान देश में डिजिटल जनगणना सहभागिता का एक अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। स्व-गणना प्रक्रिया के चरण-दर-चरण निर्देशों सहित एक उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका पत्र के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

Digitally signed by
Bishnu Charan Mallick
Date: 09-04-2026
14:30:14

(बिष्णु चरण मल्लिक)
निदेशक

जनगणना 2027 के प्रथम चरण- मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए स्व-गणना

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

==========================

प्रस्तावना

स्व-गणना (Self-Enumeration-SE) जनगणना की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निवासी अपने परिवार संबंधी विवरण को स्वयं ऑनलाइन भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित अवधि के अनुसार, SE पोर्टल, प्रगणक द्वारा घर-घर जाकर किए जाने वाले मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना (HLO) के प्रारंभ होने से 15 दिन पूर्व से सक्रिय रहेगा। पोर्टल के खुलने की तिथि तथा इसकी सक्रिय अवधि पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। यह प्रक्रिया पूर्ण करने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है तथा सफलतापूर्वक प्रस्तुतिकरण के पश्चात एक विशिष्ट स्व-गणना पहचान संख्या (SE ID) उत्पन्न होगी।

स्टेप 1: [illegible]

- **पोर्टल:** पोर्टल तक पहुंचने के लिए https://se.census.gov.in पर जाएं।
- **प्रारंभिक चयन:** ड्रॉप-डाउन सूची से अपना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र चुनें तथा आगे बढ़ने के लिए कैप्चा दर्ज करें।
- **उपकरण संबंधी सुझाव:** *डिजिटल मानचित्र पर अपने घर का स्थान चिन्हित करते समय बेहतर दृश्यता के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप का उपयोग करना प्रस्तावित है।*

स्टेप 2: परिवार [illegible] पंजीकरण

- **परिवार का मुखिया:** परिवार के मुखिया का नाम दर्ज करें। इस प्रविष्टि के पास एक टूलटिप उपलब्ध है, जो यह समझने में सहायता करेगा कि परिवार का मुखिया किसे माना जाए ।
    - **महत्वपूर्ण:** *एक बार पंजीकरण होने के बाद इस नाम को बदला नहीं जा सकेगा।*
- **मोबाइल पंजीकरण:** परिवार के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर दर्ज करें। प्रत्येक परिवार के लिए केवल एक मोबाइल नंबर का उपयोग किया जाना चाहिए और वह नंबर किसी अन्य परिवार के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।
- **ईमेल (वैकल्पिक):** आप अपनी स्व-गणना पहचान संख्या (SE ID) ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु एक ई-मेल आईडी भी प्रदान कर सकते हैं।

स्टेप 3: भाषा चयन एवं ओटीपी [illegible]

- **भाषा वरीयता:** अपनी पसंदीदा भाषा सावधानीपूर्वक चुनें। प्रक्रिया के बाद के चरणों में इसे बदला नहीं जा सकेगा।
    - **महत्वपूर्ण:** *चयनित भाषा को बाद में बदला नहीं जा सकता।*
- **ओटीपी सत्यापन:** अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त एक-बार उपयोग होने वाला पासवर्ड (ओटीपी) दर्ज कर सत्यापन करें और आगे बढ़ें।
    - **सुझाव:** *ओटीपी प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके मोबाइल में पर्याप्त नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध हो।*

स्टेप 4: निवास [illegible]

- **स्थान संबंधी विवरण:** अपना जिला चुनें और अपना पिन कोड (वैकल्पिक) दर्ज करें। इसके पश्चात अपने गाँव/नगर, स्थानीय क्षेत्र तथा निकटवर्ती पहचान-चिह्न (लैंडमार्क) का नाम दर्ज करें। इसके बाद "खोज" पर क्लिक करें।

स्टेप 5: [illegible]

- **परस्पर क्रियात्मक मानचित्रण:** स्क्रीन पर एक लाल संकेतक (मार्कर) के साथ मानचित्र प्रदर्शित होगा। इस संकेतक को खींचकर अपने निवास स्थान के सटीक स्थान पर रखें ताकि आवासीय भवन का सही स्थान चिन्हित किया जा सके। इसके बाद "सहेजें और आगे बढ़ें" पर क्लिक करें। स्थान संबंधी जानकारी की पुष्टि हेतु एक संदेश प्रदर्शित होगा।
    - **उद्देश्य:** *यह प्रगणक द्वारा घर-घर भ्रमण के दौरान सत्यापन हेतु स्व-गणना (SE) डेटा को संबंधित मकानसूचीकरण ब्लॉक (Houselisting Block) से आवंटित करने में सहायक होगा।*

स्टेप 6: प्रश्नावली [illegible]

- **सूचना दर्ज करना:** मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना से संबंधित प्रश्नावली को भरें।
- **मार्गदर्शन साधन:** विशिष्ट प्रश्नों के लिए प्रश्नों के नीचे दिए गए नोट्स, "टूलटिप्स" तथा "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" का उपयोग करें।
- **एकरूपता:** यह प्रश्नावली वही है जिसका उपयोग प्रगणक द्वारा किया जाएगा। भवन संख्या, *जनगणना मकान संख्या, जनगणना मकान* का उपयोग *तथा* परिवार क्रमांक जैसी कुछ जानकारी प्रगणक द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अलग से दर्ज की जाएगी।
- **नेविगेशन:** प्रणाली में अगले पृष्ठ पर जाने से पहले वर्तमान स्क्रीन को पूर्ण करना आवश्यक है, हालांकि आप किसी भी समय पिछली प्रविष्टियों में संशोधन करने के लिए वापस जा सकते हैं।

स्टेप 7: दर्ज किए [illegible] की समीक्षा

- **पूर्वावलोकन:** "पूर्वावलोकन" स्क्रीन के माध्यम से सभी दर्ज की गई जानकारी को अनुभाग-वार जांचें। इस चरण पर डेटा में संशोधन किया जा सकता है।
- **ड्राफ्ट के रूप में सेव करें:** आप जानकारी को ड्राफ्ट के रूप में सेव रख सकते हैं और अंतिम तिथि से पूर्व इसे अंतिम रूप देकर "पुष्टि करें और सबमिट" कर सकते हैं।

स्टेप 8: अंतिम [illegible]

- **डेटा लॉक करना:** जब आप संतुष्ट हों, तब ***"पुष्टि करें और सबमिट करें"*** पर क्लिक करें। इसके बाद किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा, सिवाय इसके कि प्रगणक द्वारा आवश्यक परिवर्तन किए जाएँ।
- **प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि:** अंतिम तिथि सभी पृष्ठों पर चलती हुई सूचना (Marquee) के रूप में प्रदर्शित की जाएगी। यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व अंतिम रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो स्व-गणना पूर्ण नहीं मानी जाएगी।
- **आईडी का निर्माण:** सफल प्रस्तुतीकरण के पश्चात "H" से प्रारंभ होने वाली 11 अंकों की एक विशिष्ट SE ID उत्पन्न होगी और प्रदर्शित की जाएगी। यह SE ID एसएमएस तथा ई-मेल (यदि प्रदान किया गया हो) के माध्यम से भी भेजी जाएगी। इसे स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखना तथा लिखकर नोट कर लेना अनुशंसित है।
- **SE ID पुनः प्राप्त करना:** पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से पोर्टल से बाद में भी SE ID प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।

स्टेप 9: क्षेत्रीय [illegible]

- **प्रगणक द्वारा घर का भ्रमण:** जब जनगणना प्रगणक आपके घर आए, तो उन्हें अपनी SE ID प्रदान करें।
- **ID मिलान:**
  - यदि SE ID प्रगणक के मोबाइल में उपलब्ध किसी भी SE ID से मेल खाती है, तो आपका स्व-गणना डेटा सत्यापित, स्वीकार एवं प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
  - यदि SE ID का मिलान नहीं होता है, तो प्रगणक आपके परिवार की जानकारी पुनः एकत्र करेगा।

****